कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), निकट गाँधी पार्क, सहारनपुर।

कार्यालय दूरभाष : 0132–4063322

ई–मेल: upjngraminsre@gmail.com

मोबाईल न0 – 9151919328

पत्रांक– 1213 / DM-office/ Paper cutting / 43 दिनांक– 17.06.2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,

सहारनपुर।

विषय :– दैनिक समाचार पत्र ''हिन्दुस्तान'' में प्रकाशित शीर्षक **''शुद्ध पेयजल घर–घर पहुंचाने के प्रति गंभीर नही जल जीवन मिशन''** के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 16.06.2026 को दैनिक समाचार पत्र ''हिन्दुस्तान'' में प्रकाशित शीर्षक **''शुद्ध पेयजल घर–घर पहुंचाने के प्रति गंभीर नही जल जीवन मिशन''** के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत विकास खण्ड गंगोह की बुढडाखेडा पेयजल योजना के समस्त कार्य चयनित फर्म मै0 एन0के0जी0 प्राईमस (जेवी) गाजियाबाद द्वारा कराये जा रहे है। योजना अन्तर्गत नलकूप, पम्प हाउस, बाउन्ड्रीवाल एवं सोलर अधिष्ठापन का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया हैं। योजना में प्रस्तावित कुल 22.75 किमी0 के सापेक्ष 21.75 किमी का कार्य पूर्ण कर प्रस्तावित 1106 गृह संयोजनों के सापेक्ष 940 गृह संयोजन प्रदान किये गये है, 01 किमी0 की पाईप लाईन PWD विभाग से अनुमति न मिलने के कारण शेष है। यह भी अवगत कराना है कि विगत 18 माह से धनाभाव के कारण कार्यो की प्रगति अत्यन्त धीमी है धनावंटन उपरांत PWD विभाग से अनुमति प्राप्त कर अवशेष पाईप लाईन के निर्माण को यथाशीघ्र पूर्ण कराते हुये ग्राम में जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

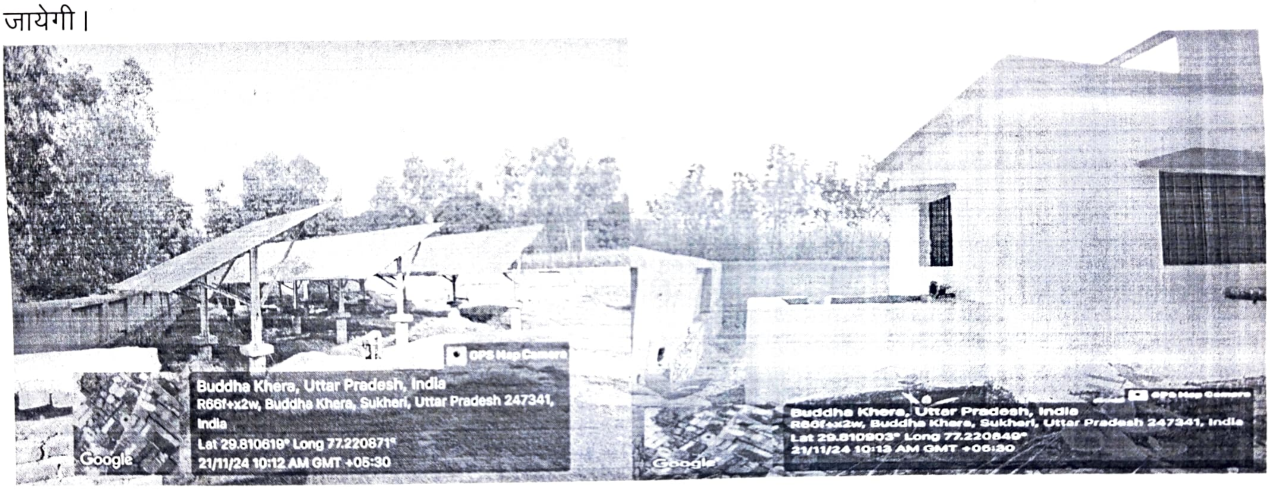

भवदीय,

17.6.26

अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एव दिनॉक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (मे0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) मेरठ।
3. अधीक्षण अभियन्ता मण्डल कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) सहारनपुर।
4. जिला सूचना अधिकारी, सहारनपुर।
5. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि PWD विभाग के अधिशासी अभियन्ता से व्यक्तिगत सम्पर्क कर NOC प्राप्त करते हुये ग्राम में जलापूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।
6. परियोजना प्रबन्धक मै0 एन0के0जी0 प्राईमस जेवी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि योजना के अवशेष कार्यो को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कराकर जलापूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता